



## प्रेस नोट, जनपद जालौन (दिनांक 13.03.2025)

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में कोतवाली जालौन पुलिस द्वारा बिजली के खम्भों से तार चोरी होने की घटना का सफल अनावरण करते हुये तार चोरी करने वाले 05 अन्तर्राज्यीय अभियुक्तगण को 02 अदद तमंचा व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर व 02 अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार कर चोरी किये गये माल (12 अदद तार के बन्डल) बरामद कर विधिक कार्यवाही की गयी।

आज दिनांक 13.03.2025 को कोतवाली जालौन पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर / वांछित अपराधी एवं पतारसी सुरागरसी के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम हथेरी ओवर ब्रिज के पास से 05 अभियुक्तगण को 02 अदद तमंचा व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर एवं 02 अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया एवं उनकी निशानदेही पर दिनांक 19/20.01.2025 को कोतवाली जालौन में पंजीकृत मु0अ0स0-14/2025 धारा 303(2)/324(4) बीएनएस से सम्बन्धित चोरी किया गया माल 12 अदद तार के बन्डल वजन करीब 04 कुन्तल 26 किलो 460 ग्राम बरामद कर विधिक कार्यवाही की गयी। बरामद अवैध असलाहा के सम्बन्ध में कोतवाली जालौन में आर्म्स एक्ट के अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

### पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम सभी लोग मिलकर रात में इसी ईको गाडी से तार चोरी करने आते थे और खेतों में सूनसान इलाकों में बिजली के तारों की चोरी करते है, करीब 02 माह पूर्व हम लोगो ने ग्राम सालाबाद गांव के पास खेतों से निकली बिजली की लाईन से करीब 08-10 खम्भों के तार काटे थे, जिसको हम लोगो ने बन्डल बना बनाकर ग्राम हथेरी ओवर ब्रिज सर्विस रोड की दूसरी तरफ बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे की नीचे गड्डो में छाडियों के बीच में छिपा कर रख दिया था एवं कुछ तार उसी रात को हम लोग लेकर चले गये थे जिसको हम लोगो ने फेरी वाले कवाडियों को थोडा थोडा कर बेच दिया था, उस पैसे को हम लोग अपनी जरूरतों एवं शौक पर खर्च करते हैं। हम लोगो ने कुछ माह पूर्व हदरूख चौकी क्षेत्र मे बस्तेपुर बम्बा के पास की लाईन काटी थी जिसमें हम लोग तार को ले जा नहीं पाये थे क्योंकि पुलिस आ गयी थी हम लोग मौके से गाडी लेकर भाग गये थे। आज हम लोग फिर चोरी किये गये तारों को लेने आये थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. राहुल वाल्मिकी पुत्र मुन्ना वाल्मिकी निवासी लहार थाना लहार जनपद भिण्ड म0प्र0 उम्र 24 वर्ष।
2. जितेन्द्र राठौर पुत्र रमेश राठौर निवासी मोहल्ला जनकपुरा कस्बा लहार थाना लहार जनपद भिण्ड म0प्र0 उम्र करीब 20 वर्ष।
3. भारत वाल्मिकी पुत्र राजकुमार वाल्मिकी निवासी मो0 बिजलीघर कस्बा व थाना जनपद भिण्ड म0प्र0 उम्र करीब 21 वर्ष।
4. विशाल कुमार उर्फ बाबा दुबे पुत्र स्व० मनोज दुबे निवासीग्राम अखदेवा थाना रावतपुरा जनपद भिण्ड म0प्र0 उम्र करीब 20 वर्ष।
5. समय वाल्मिकी पुत्र संजय वाल्मिकी निवासी मु० रावतपुरा कस्बा व थाना लहार थाना लहार जनपद भिण्ड म0प्र0 उम्र करीब 21 वर्ष।

### बरामदगी-

1. 12 तार के बन्डल वजन करीब 04 कुन्तल 26 किलो 460 ग्राम
2. 02 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. 02 अदद नाजायज चाकू
4. 01 अदद सफेद ईको गाडी

### अभियुक्त राहुल वाल्मीकि उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 14/2025 धारा 303(2)/324(4) बीएनएस थाना कोतवाली जालौन जनपद जालौन ।
2. मु0अ0सं0 261/2024 धारा 324(5) बीएनएस व सा0 सम्पत्ति नुकसान एक्ट की धारा 3 थाना कुठौंद जनपद जालौन ।
3. मु0अ0सं072/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जालौन जनपद जालौन

### अभियुक्त जितेन्द्र राठौर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 14/2025 धारा 303(2)/324(4) बीएनएस कोतवाली जालौन जनपद जालौन ।
2. मु0अ0सं0 261/2024 धारा 324(5) बीएनएस व सा0 सम्पत्ति नुकसान एक्ट की धारा 3 थाना कुठौंद जनपद जालौन ।
3. मु0अ0सं0 73/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जालौन जनपद जालौन
4. मु0अ0सं0 97/2022 धारा 34 आबकारी एक्ट थाना लहार जिला भिण्ड म0प्र0 ।

### अभियुक्त भारत वाल्मीकि उपरोक्त का आपराधिक इतिहास- -

1. मु0अ0स0 14/2025 धारा 303(2)/324(4) बीएनएस कोतवाली जालौन जनपद जालौन ।
2. मु0अ0सं0 261/2024 धारा 324(5) बीएनएस व सा0 सम्पत्ति नुकसान एक्ट की धारा 3 थाना कुठौंद जनपद जालौन ।
3. मु0अ0सं0 74/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जालौन जनपद जालौन

### अभियुक्त विशाल कुमार उर्फ बाबा दुबे उपरोक्त का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0स0 14/2025 धारा 303(2)/324(4) बीएनएस कोतवाली कोतवाली जालौन जनपद जालौन ।
2. मु0अ0सं0 261/2024 धारा 324(5) बीएनएस व सा0 सम्पत्ति नुकसान एक्ट की धारा 3 थाना कुठौंद जनपद जालौन ।

### अभियुक्त समय वाल्मीकि उपरोक्त का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0स0 14/2025 धारा 303(2)/324(4) बीएनएस कोतवाली जालौन जनपद जालौन
2. मु0अ0सं0 261/2024 धारा 324(5) बीएनएस व सा0 सम्पत्ति नुकसान एक्ट की धारा-3 थाना कुठौंद जनपद जालौन
3. मु0अ0सं0 75/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जालौन जनपद जालौन
4. मु0अ0सं0 396/2022 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना लहार जनपद भिण्ड म0प्र0

### पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जालौन मय टीम ।